न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
नारायणलाल पुत्र सोमाजी जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तह0 सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

रा0प्रा0 पत्र रा0 58/2023

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 18.7.2023

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा झाडोलीवीर तहसील शिवगंज के खसरा नं0 671 रकबा 0.6475 हैक्टयर किस्म ब–3 स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी चली आ रही है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की है तथा उक्त आराजी पर काश्त कर अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजी पर आने–जाने के लिए तथा फसल बोने व जोतने, मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। मौजा झाडोलीवीर के खसरा नं0 667 का प्रस्तुत नक्शाट्रेस में लाल स्याही से अंकित मार्क ए.,बी.,से सी. में स्थित रास्ते से आते जाते थे। तथा वर्तमान में आवागमन हेतु रास्ता नहीं है। जिससे उस खसरा नं0 की भूमि से 30 फीट चौडा रास्ता चाहता हूँ। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर आ जा सके।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 465 दिनाक 30.06.2023 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। तहसीलदार शिवगंज की और से मौका जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता अंकित है कि रिपोर्ट इस आशय से प्राप्त हुई कि मौजा झाडोलीवीर के खसरा नं0 671 रकबा 0.6475 हैक्टयर किस्म ब–3 की भूमि में प्रवेश करने के लिये प्रस्तावित मार्ग खसरा नं0 667 रकबा 0.7284 हेक्टयर किस्म पथरीली बिलानाम भूमि में से दिया जाना उचित बताया है। प्रस्तावित रास्ता 220 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 2013 वर्ग मीटर अर्थात 0.2013 हैक्टयर बनता है, प्रस्तावित रास्ता सरकारी रास्ते से जुडता हुआ है व लघुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि पडत है। एवं उसके रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 100824/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 20300/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 40600/–रूपये होती है।

.... शेष पेज संख्या दो पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रकरण सं0 58/2023
नारायणलाल बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट

दिनांक 18.07.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा झाडोलीवीर तहसील शिवगंज के खसरा नं0 671 रकबा 0.6475 हैक्टयर किस्म ब–3 में जाने हेतु मौजा झाडोलीवीर के खसरा नं0 667 रकबा 0.7284 हेक्टयर भूमि में से रास्ता दिये जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौडा एवं 220 मीटर लंबा है। जिसका क्षेत्रफल 2013 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 100824/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 20300/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 40600/–(चालीस हजार छः सौ) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार खातेदारी भूमि मौजा झाडोलीवीर तहसील शिवगंज के खसरा नं0 671 रकबा 0.6475 हैक्टयर किस्म ब–3 भूमि में जाने हेतु मौजा झाडोलीवीर के खसरा नं0 667 रकबा 0.7284 हेक्टयर भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौडा एवं 220 मीटर लम्बाई के भूमि की राशि 40600/– (चालीस हजार छः सौ) रूपये का भुगतान तहसील कार्यालय, शिवगंज में राजकोष में राशि जमां कराने के पश्चात बिलानाम सिवायचक भूमि से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2023/ 523 दिनांक 18.07.2023

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:38:25 IST
Reason: SelfAttested